न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज

निष्पादन वाद सं0–05/2015

CIS NO EX 19/2018

शंभू साह एवं अन्य...वादीगण

बनाम

सहदेव साह एवं अन्य...प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
19.05.2025	उभय पक्ष की ओर से पैरवी है। वाद पुकार किया गया। डिक्रीदारों की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 23.01.2025 अंतर्गत आदेश 22 नियम 04 व्यवहार प्रक्रिया संहिता को डिक्रीदारों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया। आवेदन में कथन किया गया है कि प्रस्तुत वाद के मदिउन सं0–01 सहदेव साह की मृत्यु दिनांक 23.10.2024 को हो चुका है तथा मृतक अपने पीछे अपने विधिक वारिसानो के रूप में पत्नी मु0 जगरानो कुंवर, दो पुत्र सुरेश साह, रमेश साह तथा एक पुत्री शांति देवी को को छोड़कर मरे है। अतः प्रतिस्थापन आवेदन स्वीकार कर मृतक के वारिसानों का नाम प्रतिवादी कॉलम में प्रतिस्थापित करने की कृपा की जाय। मदिउन सं0–02 एवं आपत्तिकर्ता की ओर से डिक्रीदारों के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया तथा आवेदन खारिज योग्य बताया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद के मदिउन सं0–01 सहदेव साह की मृत्यु हो चुकी है, जिसे मदिउन सं0–02 एवं आपत्तिकर्ता भी स्वीकार करते है। डिक्रीदारों द्वारा दाखिल आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है। नियमन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नियमन K Rudrappa V/S Shivappa AIR 2004, SC 4346 एवं Ganesh Prasad Badrinath Lahoti V/S Sanjeev Prasad Jamuna Prasad Chaurasia AIR 2004, SC 4158 के आलोक में तथा न्यायहित में डिक्रीदारों की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 23.01.2025 स्वीकार किया जाता है तथा मृतक के विधिक वारिसानों में मृतक के पत्नी मु0 जगरानो कुंवर, दो पुत्र सुरेश साह, रमेश साह	

न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज

निष्पादन वाद सं0–05/2015

CIS NO EX 19/2018

शंभू साह एवं अन्य...वादीगण

बनाम

सहदेव साह एवं अन्य..प्रतिवादीगण

लगातार **19.05.2025**	तथा एक पुत्री शांति देवी का नाम प्रतिस्थापित करने की अनुमति दी जाती है। डिक्रीदार प्रतिस्थापन करें। तदपश्चात् समन की अपेक्षिकाएँ दाखिल करें। कार्यालय जाँचोपरांत समन जारी करें। वाद दिनांक 23.06.2025 वास्ते उपस्थिति हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	